न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 45 / 2025

अन्तर्गत धारा :–251(क) राजस्व काश्तकारी अधिनियम

सिकंदर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह जाति जटसिख साकिन 14 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. पूर्णराम पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सतपाल पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा देवी पुत्री दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. लीला देवी पुत्री दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड नं. 17 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रामप्रताप पुत्र हरीराम जाति धानक साकिन दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सोमप्रकाश पुत्र हरीराम जाति धानक साकिन दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. कृष्ण कुमार पुत्र करताराराम जाति धानक साकिन संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। मो.नं. 75970–46215, 80589–62374, वार्ड नं. 09 या वार्ड नं. 11 सं
9. श्रीराम पुत्र करताराराम जाति धानक साकिन संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. गुरदीप सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख साकिन 14 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

<u>आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी</u>

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थी
2. श्री अर्जुन सिंह नरूका — अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 ता 9
3. राज पैरोकार — अप्रार्थी सं. 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07/08/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के प्रार्थी के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 14 पीबीएन के खाता सं. 31 के प.नं. 27/303 के किला नं. 7, 14, 17/2 कुल 0.833 हैक. नहरी, मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 14 पीबीएन के खाता सं. 122 के प.नं. 26/303, 27/303, 27/304 की कुल 5.768 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 10 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 14 पीबीएन के प.नं. 27/303 के किला नं. 3/1, 3/2, 8, 12, 13 की 1.012 हैक. दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 9 की कृषि भूमि के प.नं. 27/303 के किला नं. 21 ता 25 मे 0.051-0.051 हैक. गै.मु. रास्ता (खरलियां रोड) स्वीकृत है जो मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से अप्रार्थी सं. 1 ता 9 अपनी कृषि भूमि मे आवगमन करते है और प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के प.नं. 27/303 के किला नं. 24 की पश्चिमी दिशा मे से आवगमन करता है व कृषि औजार इत्यादि लेकर जाता है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. 24 मे 30 फुट, किला नं. 17 मे 16.5 फुट व किला नं. 14 मे दक्षिणी पश्चिमी कुंट मे रास्ता पूर्वी दिशा मे चालू है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 11 की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, नजदीक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 11 की कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 14 पीबीएन के प.नं. 27/303 के किला नं. 24/2 मे 0.037, 17121.025 बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तरी से दक्षिण दिशा लम्बा, किला नं. 14/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट मे रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के एवज मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 11 अप्रार्थी सं. 1 ता 9 को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 14 पीबीएन के प.नं. 27/303 के किला नं. 24/2 मे 0.037, 17/2/025 बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तरी से दक्षिण दिशा लम्बा, किला नं. 14/.003 दक्षिणी पश्चिमी कुंट में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिह नरूका हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता हाजिर है जो कि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के निर्णय उपरान्त पक्षकार संयोजित किया जा चुका है।

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 ता 9 की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 ता 3, 6 ता 9 की ओर से संक्षिप्त में इस प्रकार से है – यह कि उपरोक्त अनवान प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त अनवान प्रकरण मात्र माननीय न्यायालय का कीमती समय खराब करने की नियत से पेश किया गया है, प्रार्थी व प्रार्थी का पिता गुरदत सिहं एक ही परिवार के सदस्य है, तथा एक ही घर में एक स्थान पर निवास करते है, तथा कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त करते है, पूर्व में माननीय न्यायालय मे एक प्रकरण संख्या 357/2021, अनवान गुरदत सिहं बनाम अशोक कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. वर्तमान विषय यानि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता की कृषि भूमि चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पी.बी.एन में रास्ता से सम्बंधित पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय [illegible] गुणावगुण साक्ष्य व दस्तावेजो के आधार पर दिनांक 25.06.2024 को निर्णय किया गया [illegible] जिसकी आज तक कोई अपील नही की गई, उक्त प्रकरण मे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.06.2024 में यह लिखा था कि "हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यो दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा मौका निरक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा कम दूरी का रास्ता लगता है प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम नही है इसके अतिरिक्त रास्ता हेतू अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. काश्त. अधि. की धारा 251 के खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतू प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. ए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नही होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकलीम दफतर दाखि हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनाक 25.06.2024 सुनाया गया।" अर्थात प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम कृषि भूमि दोनो संयुक्त रूप से काश्त करते है, प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम वर्णित कृषि भूमि भी आपस में चिपते है, पूर्व में प्रार्थी के पिता द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर रास्ता मंजूर किये जाने बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह खारिज किया जा चुका है, अब प्रार्थी व प्रार्थी के पिता द्वारा मिलीभगत कर अपनी काश्तशुदा कृषि भूमि जिसके सम्बंध में पूर्व में चल रहे प्रकरण के समाप्त हो जाने के कारण समाप्त हुए प्रकरण की अपील न कर नया रास्ता प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं, प्रार्थी व प्रार्थी के पिता दोनो संयुक्त रूप से जिस रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहे है. व रास्ता मंजूरशुदा रास्ता है, तथा प्रार्थी के पिता की कृषि भूमि तक जाता है, पूर्व में दर्ज रास्ता प्रकरण के खारिज हो जाने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता मिन अप्रार्थीगण से रजिंश रखते है, मिन अप्रार्थीगण अनुसुचित जनजाति के अत्यंत गरीब काश्तकार है, तथा सभी के हिस्से में थोडी थोडी कृषि भूमि काश्त करने हेतू प्राप्त होती है, मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण/प्रार्थना पत्र कारण हासिल नही है, मिन अप्रार्थीगण नेक नियत व सदभावी है, मामले मे देरी की मंशा नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधि. की धारा 251 क विधि द्वारा वर्जित सिद्वांत होने के कारण उक्त अनवान प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अधिवक्ता प्रार्थी सिकंदर की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के जवाब में भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये जा सकतें है। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुये को काफी समय हो चुका है ओर अप्रार्थीगण [illegible] 1 माह से अधिक का समय हो गया है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने [illegible] पत्र का जवाब प्रस्तुत ना करते हुए उक्त प्रकरण मे देरी के [illegible] नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जो कि किसी भी प्रार्थना पत्र [illegible] नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी [illegible] वाद पत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से [illegible]बिल खारिजी है अतःजवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि पूर्व में प्रश्नगत रकबा एवं अनवान का प्रकरण प्रार्थी के पिता की ओर से प्रस्तुत किया गया था जो कि न्यायायल द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की अपील न कर अपने पुत्र के नाम से पुनः रास्ता स्वीकृती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है मूल प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु कथन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के कोई तथ्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में धारा लागू नहीं होती है। प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। चक 14 पीबीएन के प.न.27/303 में प्रश्नगत रकबा के संबध में प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गुरदत सिंह बनाम अशोक कुमार अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए निर्णय दिनांक 25.06.24 से निर्णय होकर न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की अपील प्रार्थी द्वारा दायर न की जाकर अपने पुत्र सिकंदर सिंह पुत्र गुरदत सिंह द्वारा रास्ता स्वीकृती हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायालय प्रकिया का दुरूपयोग है इस लिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय 151 सीपीसी के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र 251–क आरटीए इस लिए खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकी प्रार्थी के पास पूर्व वृति निर्णय में अपील प्रस्तुत किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 251–क आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 07/08/2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested